

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र. प. 2(13) III-A/Elec./BFC/2018-19/ 2250

जयपुर, दिनांक : 11-3-19

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : 1 लेखाधिकारी एवं
आहरण व वितरण अधिकारी
मुख्यालय, जयपुर।
2 समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :- बजट मद 2015- निर्वाचन के अन्तर्गत अन्तरिम आधिक्य/बचत
विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य शीर्ष 2015- निर्वाचन के अन्तर्गत अन्तरिम आधिक्य/बचत
विवरण, दिनांक 15.03.2019 तक हुए व्यय एवं शेष दायित्व जो दिनांक 31.03.2019 तक
निस्तारित कर दिये जावेंगे, को सम्मिलित करते हुए निम्न प्रारूप में दिनांक 22.03.2019 तक
पृथक-पृथक मदवार आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।

क्र. स.	मद का नाम	आदिनांक आवंटित/आहरण उपरान्त शेष राशि	दिनांक 15.03.2019 तक व्यय	शेष दायित्व जो 31.03.2019 तक निस्तारित होंगे	योग (4+5)	आधिक्य/ बचत (3-6)
1	2	3	4	5	6	7

नोट	1	उक्त विवरण लघु शीर्ष 102, 103, 105, 106 एवं 108 के अन्तर्गत पृथक-पृथक मदवार आवश्यक रूप से दिनांक 22-03-19 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
	2	आधिक्य/बचत अंकित करने के पूर्व सम्बन्धित मद में लम्बित दायित्वों की गहनता से जांच कर लें।
	3	दिनांक 31.03.2019 को अन्तिम आधिक्य/बचत विवरण (पृथक-2 मदवार) E-Mail ID: fa.election@gmail.com पर एवं fax द्वारा आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
	4	अन्तिम रूप से आधिक्य/बचत रहने के विस्तृत एवं औचित्यपूर्ण कारण भी अंकित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र दानोदिया)
वित्तीय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर